I/417718/2023

महत्वपूर्ण / गोसंरक्षण
संख्या–2562 / सैंतीस–2–2023–5(53)18टी0सी0–5

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
   प्रशासन एंव विकास,
   पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक,
   स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग,
   उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 31 अक्टूबर, 2023

विषयःप्रदेश में दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश के शत–प्रतिशत संरक्षण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण पोषण हेतु सरकार का दृढ़ संकल्प है। इस हेतु एक वृहद नीति का प्रख्यापन करते हुए समय–समय पर उच्चस्तरीय निर्णय के क्रम में विस्तृत दिशा–निर्देश पशुधन विभाग द्वारा निर्गत किये गये है। अद्यतन प्रदेश में 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को विभिन्न आश्रय स्थलों / केन्द्रों में संरक्षित किया जा चुका है, किन्तु अनुमान है कि अभी भी लगभग 2.00 लाख निराश्रित गोवंश संरक्षित किये जाने हेतु शेष है। संरक्षण हेतु अनुमानित अवशेष निराश्रित गोवंश का जनपदवार विवरण संलग्न है। (संलग्नक–1)

2. शासन स्तर पर विचार–विमर्श के उपरान्त प्रदेश व्यापी गो संरक्षण अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः

(1) दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक 60 दिवस का **विशेष अभियान** प्रत्येक जनपद में चलाया जाये, जिसमें पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग एवं पशुधन विभाग के अधिकारी सम्मिलित होगें। उक्त **06 विभागों की टीम** द्वारा

निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों/केन्द्रों में संरक्षित किया जायेगा। यथावश्यकता पुलिस का भी सहयोग लिया जाये।

(2) प्रत्येक जनपद में विकास खण्डवार/तहसीलवार उपर्युक्त विभागों की **टीमें/दस्ते बनाकर** शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाये। नगरीय क्षेत्र में प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) तथा जिन जिलों में नगर आयुक्त तैनात है, वहॉ उनके स्तर पर अभियान को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे।

(3) पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1854/33–2–2022–5913/2019, दिनांक 03.08.2022 द्वारा निराश्रित गोवंश/दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के परिवहन हेतु **कैटल कैचर**/मल्टी परपज वेहीकल क्रय किये जाने अथवा किराये पर लिये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–103/सैंतीस–2–2023–5(53)/ 18–टी0सी0 –4, दिनांक 18.01.2023 द्वारा प्रत्येक तहसील हेतु न्यूनतम 01 कैटल कैचर दिनांक 31.01.2023 तक क्रय किये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक तहसील पर या तो कैटल कैचर उपलब्ध नहीं हैं, अथवा कैटिल कैचर का तो क्रय किया गया है, परन्तु ट्रैक्टर नहीं खरीदा गया है, जिस कारण ये क्रियाशील नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा इसकी विस्तृत समीक्षा तत्काल करते हुए उक्त निर्देशों के क्रम में कैटल कैचर को क्रियाशील किया जाय व ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को गति दी जाये।

(4) उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–05/सैंतीस–2–2023–5(53)/18–टी0सी0–2, दिनांक 04.01.2023 एवं संख्या–1706/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018, दिनांक 27.07.2023 द्वारा पुनरीक्षित लक्ष्य के सापेक्ष नये **अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण** कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः संलग्न सूची में जनपदवार आंकलित निराश्रित गोवंश की संख्या के आधार पर **अस्थायी गो आश्रय स्थलों की क्षमता का विस्तार** इस प्रकार किया जाये कि स्थल में संरक्षण की कार्यवाही में कोई अवरोध न हो। यथावश्यकता नये गो आश्रय स्थलों का निर्माण कराकर भी उनमें निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाये।

(5) अभियान की अवधि में शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी जिलों में दौरा किया जायेगा तथा वस्तुस्थिति का आकंलन किया जायेगा। उन अधिकारियों के भ्रमण को जिलाधिकारियों द्वारा फैसिलिटेट किया जाये।

(6) जिलाधिकारियों की सुविधा हेतु Ready Reckoner के रूप में महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चेकलिस्ट संलग्न है। (संलग्नक–2)

(7) अभियान की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट संलग्न प्रारूप (संलग्नक–3) पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) अथवा नगर आयुक्त एवं मुख्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रत्येक बुधवार को ई–मेल–jdgoshala.up@gmail.com (दूरभाष नंम्बर–0522–2741191 मो0 नं0–8765957875) पर भेजी जायेगी।

(8) पशुपालन निदेशालय स्तर पर गो संरक्षण Command & Control Center स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंम्बर–0522–2741191 मो0 नं0–8765957875 है। निदेशक, पशुपालन सुनिश्चित करेंगे कि इस अभियान का सघन अनुश्रवण इस सेन्टर के माध्यम से किया जाये।

(9) निदेशक, स्थानीय निकाय भी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी जनपदों में संवेदनशीलता के साथ अभियान नगरीय क्षेत्रों में संचालित हो रहा है तथा वस्तुनिष्ठ आख्या प्रत्येक सप्ताह प्रेषित की जा रही है।

(10) सभी जिलाधिकारी 05 दिसम्बर, 2023 तथा 05 जनवरी, 2024 को ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की पृथक–पृथक व एकजाई (समेकित) आख्या शासन/पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध करायेगे।

(11) जिन जिलों/अधिकारियों के द्वारा इस अभियान में उदाहरणात्मक/उत्कृष्ट कार्य किया जाता है, उन्हें प्रदेश स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित भी किया जायेगा।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 31-10-2023 11:20:04
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

I/417718/2023

संख्या–2562(1)/सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संलग्नक–1

प्रदेश में जनपदवार संरक्षण हेतु अवशेष निराश्रित गोवंश संख्या का आंकलन			
क्र0स0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	अनुमानित निराश्रित गोवंश
1	चित्रकूट	हमीरपुर	2500
		महोबा	3000
		बांदा	2000
		चित्रकूट	5000
2	गोण्डा	बहराइच	4000
		गोण्डा	2500
		श्रावस्ती	1000
		बलरामपुर	2000
3	अयोध्या	अयोध्या	2500
		अम्बेडकर नगर	2500
		अमेठी	3600
		सुल्तानपुर	4800
		बाराबंकी	5000
4	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1500
		रामपुर	1000
		सम्भल	3000
		बिजनौर	3000
		अमरोहा	1000
5	मिर्जापुर	मिर्जापुर	5000
		सोनभ्रद	3000
		भदोही	1500
6	गोरखपुर	गोरखपुर	3500
		देवरिया	3800

		महाराजगंज	3000
		कुशीनगर	3000
7	वाराणसी	वाराणसी	1000
		चन्दौली	1500
		जौनपुर	5000
		गाजीपुर	4000
8	लखनऊ	रायबरेली	6500
		हरदोई	7000
		सीतापुर	7000
		उन्नाव	5000
		लखनऊ	4000
		लखीमपुर खीरी	3500
9	कानपुर	कानपुर नगर	4000
		कानपुर देहात	4000
		इटावा	3500
		औरैया	2500
		कन्नौज	2000
		फर्रूखाबाद	2500
10	बस्ती	बस्ती	2500
		संतकबीरनगर	1500
		सिद्धार्थनगर	900
11	झांसी	जालौन	3000
		ललितपुर	3500
		झांसी	5000
12	सहारनपुर	सहारनपुर	2000
		शामली	800
		मुजफ्फरनगर	3500

13	मेरठ	मेरठ	2000
		हापुड	1000
		बागपत	2500
		गौतमबुद्धनगर	700
		बुलन्दशहर	2000
		गाजियाबाद	1000
14	आगरा	आगरा	6000
		मथुरा	3000
		मैनपुरी	2000
		फिरोजाबाद	1500
15	बरेली	बरेली	5000
		बदायूँ	6000
		पीलीभीत	1000
		शाहजहॉपुर	6000
16	अलीगढ	अलीगढ	4000
		एटा	2000
		कासगंज	1500
		हाथरस	3000
17	आजमगढ	आजमगढ	2000
		बलिया	2000
		मऊ	1500
18	प्रयागराज	प्रयागराज	5000
		प्रतापगढ	4500
		फतेहपुर	3000
		कौशाम्बी	1000
कुल योग			227600

I/417718/2023

संलग्नक–2

गोवंश संरक्षण अभियान हेतु चेकलिस्ट
(जिलाधिकारी हेतु)

क्र सं0	कार्यबिन्दु	कृत कार्यवाही
1	जनपद में निराश्रित गोवंश बाहुल्य क्षेत्र का आंकलन (गोवंश संख्या)	
2	जनपद में आवश्यक नये अस्थायी गोआश्रय स्थलों का आंकलन (निराश्रित गोवंश के सापेक्ष)	
3	नये बनाये गये अस्थायी गोआश्रय स्थल की संख्या	
4	निर्माणाधीन अस्थायी गोआश्रय स्थलों की संख्या	
5	पूर्व निर्मित अस्थायी गोआश्रय स्थलों की क्षमता विस्तार की आवश्यकता	
6	विस्तारित क्षमता (अस्थायी गोआश्रय स्थलों की क्षमता विस्तार–संख्यात्मक क्षमता)	
7	कैटिल कैचर की संख्या	
8	कैटिल कैचर हेतु आवश्यक ट्रैक्टर की संख्या	
9	कैटिल कैचर/ट्रैक्टर की अतिरिक्त आवश्यकता	
10	क्रय किये गये ट्रैक्टर (कैटिल कैचर हेतु)	
11	यदि ट्रैक्टर का क्रय नहीं किया गया है तो क्या किराये पर प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली गयी है?	
12	कैटिल कैचर के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है–हाँ/नहीं।	
13	क्या विकास खण्ड वार/तहसील वार विशेष दस्तों का गठन कर लिया गया है?	
14	दस्तों में संबंधित 06 विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्मिलित होने की स्थिति।	
15	जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/नगर आयुक्त/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय)/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक कर ली गयी है?	
16	संबंधित विभागों से अर्न्तविभागीय समन्वय	

	स्थापित करने की स्थिति।	
17	संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा विभागीय स्तर पर बैठक कर अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सेंसेटाईज कर दिया गया है।	
18	वृहद गो संरक्षण केन्द्र यदि बनकर तैयार हो गया है तो उनको संचालित कर लिया गया है?	
19	अभियान के दौरान संरक्षित किये जाने वाले गोवंश के भरण–पोषण हेतु भूसा/चारा आदि की व्यवस्था।	
20	जनपद में चारागाहों/गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की स्थिति।	
21	उपलब्ध चारागाहों एवं कब्जा मुक्त चारागाहों पर बहुवर्षीय चाराघासों एवं अन्य चारा उत्पादन की स्थिति।	
22	ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड स्तरीय नोडल/सह नोडल नामित करने की स्थिति।	
23	नगरीय क्षेत्रों में नोडल/सह नोडल नामित करने की स्थिति।	
24	अन्य आवश्यक संसाधनों की स्थिति	

संलग्नक–3 (प्रारूप–1 एवं 2)

निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान अन्तर्गत गोवंश संरक्षण प्रगति की साप्ताहिक सूचना प्रेशण हेतु प्रारूप

प्रारूप–1 ग्रामीण स्तर

जनपद का नाम–

रिपोर्टिंग का दिनांक–

क्र0 सं0	विकास खण्ड	अतिरिक्त निराश्रित गोवंश की संख्या	अभियान के दौरान सप्ताह में संरक्षित गोवंश की संख्या	क्रमिक संरक्षित गोवंश की संख्या	अभियान में संरक्षित किये गये गोआश्रय स्थल का नाम/ स्थान	पूर्व से संरक्षित गोवंश की संख्या	कुल संरक्षित गोवंश की संख्या	अभियान के दौरान नवनिर्मित अतिरिक्त गोआश्रय स्थलों की संख्या	अभियान के दौरान क्षमता विस्तारित अतिरिक्त गोआश्रय स्थल (संख्यात्मक क्षमता में)
1	2	3	4	5	6	7	8(5+7)	9	10

(हस्ताक्षर)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
अधिकारी

(हस्ताक्षर)
मुख्य विकास

I/417718/2023

निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान अन्तर्गत गोवंश संरक्षण प्रगति की साप्ताहिक सूचना प्रेशण हेतु प्रारूप

प्रारूप–2 नगरीय क्षेत्र हेतु

जनपद का नाम–

रिपोर्टिंग का दिनांक–

क्र0 सं0	नगरीय निकाय	अतिरिक्त निराश्रित गोवंश की संख्या	अभियान के दौरान सप्ताह में संरक्षित गोवंश की संख्या	क्रमिक संरक्षित गोवंश की संख्या	अभियान में संरक्षित किये गये गोआश्रय स्थल का नाम/ स्थान	पूर्व से संरक्षित गोवंश की संख्या	कुल संरक्षित गोवंश की संख्या	अभियान के दौरान नवनिर्मित अतिरिक्त गोआश्रय स्थलों की संख्या	अभियान के दौरान क्षमता विस्तारित अतिरिक्त गोआश्रय स्थल (संख्यात्मक क्षमता में)
1	2	3	4	5	6	7	8(5+7)	9	10

(हस्ताक्षर)
नगर आयुक्त/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय)

(हस्ताक्षर)
मुख्य विकास अधिकारी